Web Copy - Not Official

**फर्द अहकाम**
**(नियम 26)**
**अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**

**मंगलाराम बनाम हाकम खॉ**

**किस्म मुकदमा 225 आरटीए**

**नम्बर...21.../2019**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.05.19 | अभिभाषक अपीलांट श्री प्रहलाद जाखड़ उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 14 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 47/25 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 तादादी 19 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28–11–2016 खरीदशुदा भूमि है तथा उसी दिन मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुंविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित फरमाई जावे।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br><br>हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील के इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रषित किया जाता है कि वे दिनांक 19–05–2017 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण के आधार पर एक माह के भीतर निस्तारण करें। अन्यथा स्थिति मे उक्त अदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावे। अपीलांट को परीक्षण न्यायालय में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे।<br><br>(रामनिवास जाट)<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>बीकानेर | |

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner